पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu@gmail.com*

क्रमांक A171 /अका./2017 रायपुर, दिनांक 02 /06/2017

।। अधिसूचना ।।

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 3 पर अध्यादेश क्रमांक 6 Examinations (General) में पुनः पुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकन हेतु प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन को मान्य किया गया है जो निम्नांकित है:-

वि.वि. अधिनियम/अध्यादेश / परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
अध्यादेश 6	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.11.2006 में लिये गये निर्णय के अनुसार वे परीक्षार्थी जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के पश्चात लिखित उत्तर–पुस्तिका की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त की है तथा यदि पूर्व में उन्हें प्राप्त अंकों से असंतुष्ट हैं तो वे पुनः कुलपति जी को संबोधित करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वे इस हेतु अभ्यावेदन 15 दिवस के अंदर उत्तर–पुस्तिका शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं। संबंधित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात इसका मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षकों के पैनल से (जो विश्वविद्यालय के बाहर के हों) मूल्यांकन कराया जायेगा। संबंधित सदस्यों के पैनल के द्वारा जो अंक प्राप्त होंगे वे अंतिम अंक माना जावेगा परंतु इसकी गणना पुनर्मूल्यांकन नियम के अनुसार होगी। **संशोधन पश्चात :–** उपरोक्त के साथ ही पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल) आवेदन करते ही छात्र के मूल प्राप्तांक एवं पुनर्मूल्यांकन अंक को निरस्त माना जावेगा। पुनःपुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंक अंतिम प्राप्तांक होगा।	यह देखा गया है कि छात्र/छात्राएं पुनःपूनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) परिणाम से भी असंतुष्ट होकर कुलपति /कुलसचिव महोदय के समक्ष पुनः शिकायत लेकर आते है। इस हेतु उचित होगा कि निम्नानुसार **तीन सदस्यीय अपीलीय निकाय का गठन कर प्रत्येक सत्र हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य का मनोनयन** किया जाय जो निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण करेगा :– 1. **शिक्षाविद्/एकेडमीशियन** – **अध्यक्ष** (मान. कुलपति महोदय द्वारा मनोनित) 2. **संबंधित विषय/प्रश्न–पत्र के विशेषज्ञ** – **सदस्य** (मान. कुलपति महोदय द्वारा मनोनित) 3. **प्रशासनिक अधिकारी कुलसचिव (पदेन)** – **सचिव** (अथवा कुलसचिव महोदय द्वारा मनोनित सदस्य) उपरोक्त अपीलीय निकाय में कोरम पूरा करने के लिए दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें संबंधित विषय/प्रश्न–पत्र के विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पूर्व नामित विषय/प्रश्न–पत्र के विशेषज्ञ की अनुपस्थिति पर मान. कुलपति महोदय किसी अन्य विषय विशेषज्ञ को निश्चित अवधि के लिए नामित कर सकेंगे। 1. पुनर्मूल्यांकन के लिए जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है, पुनर्मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिकाओं की छाया प्रति पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में प्रति उत्तर–पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त कर सकेंगे। 2. परीक्षार्थी के उन विषयों/प्रश्न–पत्रों में जिनके पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किये जा चुके हैं तथा जिन्होंने नियमानुसार संबंधित उत्तर–पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त की है, वे पुनर्मूल्यांकन परिणाम से असंतुष्ट होने पर निर्धारित प्रपत्र में अपनी उत्तर–पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करते हुए पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) हेतु नियमानुसार उत्तर–पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने के **07 दिवस के भीतर** कुलपति महोदय को संबोधित अभ्यावेदन निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्रति उत्तर–पुस्तिका शुल्क के साथ प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित उत्तर–पुस्तिका का मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षकों के पैनल से (जो विश्वविद्यालय के बाहर के हों) मूल्यांकन कराया जायेगा। पैनल द्वारा प्रदत्त अंकों की गणना

		पुनर्मूल्यांकन नियम के अनुसार होगी। पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) हेतु आवेदन करते ही छात्र के मूल प्राप्तांक एवं पुनर्मूल्यांकन अंको को निरस्त माना जावेगा। 3. पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) के परिणाम घोषित होने के पश्चात भी यदि आवेदक परिणाम से असंतुष्ट है तो वह पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) परिणाम घोषणा के **07 दिवस के भीतर उत्तर–पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करते हुए मूल प्राप्तांक का तथा अपनी आपत्तियों का बिंदुवार/ प्रश्नवार उल्लेख करते हुए अपीलीय निकाय द्वारा परीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रति उत्तर–पुस्तिका निर्धारित शुल्क के साथ अभ्यावेदन माननीय कुलपति महोदय को संबोधित कर प्रस्तुत करेंगे।** जिसका परीक्षण कर अपीलीय निकाय द्वारा निर्णय लिया जायेगा। 4. परीक्षणोंपरांत 03 सदस्यीय अपीलीय निकाय द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों को मान. कुलपति महोदय विवेकानुसार संज्ञान में लेकर अपीलीय निकाय के समक्ष परीक्षण हेतु निर्देशित कर सकेंगे। 6. त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन कार्य करने वाले मूल्यांकनकर्ता के संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा अनुशंसा किये जाने पर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा। 7. अपीलीय निकाय के लिए शुल्क तथा कुलपति महोदय द्वारा मनोनित अध्यक्ष एवं सदस्य को प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण मान. कार्यपरिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 8. उपरोक्त प्रावधान के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक – 06 Examination (General) के कंडिका – 26 (पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान, उप–कंडिका 1 से 5) के पश्चात उप–कंडिका – 6 प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक :4172 /अका./2017 रायपुर, दिनांक :02 /06/2017

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर
02. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
05. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
06. समस्त विभागीय अधिकारी,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)